रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 67] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 17, 2014/माघ 28, 1935
No. 67] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 17, 2014/MAGHA 28, 1935

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2014

सं. 04/2014-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि. 90(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 12/2012-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 163(अ) तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,--

(क) प्रारंभिक पैरा में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात, उक्त सारणी के क्रम सं. 296 और 297 के सामने विनिर्दिष्ट मालों को 31 मार्च, 2015 के पश्चात् लागू नहीं होगी :

परंतु यह और कि उक्त सारणी के क्रम सं. 345 से 369 के सामने विनिर्दिष्ट मालों को 30 जून, 2014 के पश्चात् लागू नहीं होगी ।" ।

(ख) सारणी में,--

(i) क्रम सं. 263क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"263क	8517	(i) मोबाइल हैंडसेट, जिसके अंतर्गत सेलुलर फोन भी हैं	6%	-
		(ii) मोबाइल हैंडसेट, जिसके अंतर्गत सेलुलर फोन भी हैं	1%	16" ।

(ii) क्रम सं. 273 के सामने स्तंभ (3) में,--

(क) मद (iii) में, "और क्रम सं. 284क पर विनिर्दिष्ट क्रीडा उपयोगिता यान" शब्दों, अक्षरों और अंकों का लोप किया जाएगा ;

(ख) मद (4) और स्तंभ (4) तथा स्तंभ (5) में तत्स्थानी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(iii) क्रम सं. 344 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
345.	84 (8424 81 00, 8432, 8433, 8436, 8437, 8452 10 12, 8452 10 22, 8452 30, 8452 90, 8469 00 30, 8469 00 40, 8479 89 92 के सिवाय)	सभी माल	10%	-
346.	85 (8548 10 के सिवाय)	सभी माल	10%	-
347.	87	निम्नलिखित माल, अर्थात् :—		
		(i) एंबुलेंस के रूप में निकासी किए गए मोटर यान, जो शीर्ष सं. 8702 और 8703 के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें ऐसे मोटर यानों का विनिर्माण करने वाले कारखाने से सभी सुसज्जाओं, फर्नीचर और समनुषंगियों से सुसज्जित किया गया है, जो किसी एंबुलेंस के लिए आवश्यक हैं ;	8%	-
		(ii) तेरह व्यक्तियों, जिसके अंतर्गत चालक भी है, तक के परिवहन के लिए शीर्ष 8702 और 8703 के अधीन आने वाले मोटर यान (सात व्यक्तियों तक के परिवहन के लिए तिपहिया मोटर यानों से भिन्न), जिन्हें निकासी के पश्चात् एंबुलेंस के रूप में एक मात्र उपयोग के लिए रजिस्ट्रीकृत किया गया है ;	8%	26
		(iii) तेरह व्यक्तियों, जिसके अंतर्गत चालक भी है, तक के परिवहन के लिए शीर्ष 8702 और 8703 के अधीन आने वाले मोटर यान (तिपहिया मोटर यानों और क्रम	निकासी के समय संदत्त उत्पाद-शुल्क का 80%	26

		सं. 356 पर विनिर्दिष्ट क्रीडा उपयोगिता यान से भिन्न), जिन्हें निकासी के पश्चात् टैक्सी के रूप में एक मात्र उपयोग के लिए रजिस्ट्रीकृत किया गया है ; (iv) क्रम सं. 356 के सामने विनिर्दिष्ट क्रीडा उपयोगिता यान, जिनका निकासी के पश्चात् केवल टैक्सी के रूप में रजिस्ट्रीकरण किया गया है ।	निकासी के समय संदत्त उत्पाद-शुल्क का 80%	26
348.	8701	1800 सीसी से अधिक इंजन क्षमता के अर्ध-ट्रेलरों के लिए रोड ट्रैक्टर	8%	-
349.	8702 10 91, 8702 10 92, 8702 10 99, 8702 90 91, 8702 90 92, 8702 90 99	चालक सहित दस या अधिक व्यक्तियों के परिवहन के लिए मोटर यान	8%	-
350.	8703	संकर मोटर यान **स्पष्टीकरण.**-- इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए - "संकर मोटर यान" से ऐसा मोटर यान अभिप्रेत है, जो रेल के चालन के लिए यान को शक्ति प्रदान करने के लिए बैटरी द्वारा शक्तिप्रद विद्युत मोटर और आंतरिक दहन इंजन का उपयोग करता है किंतु इसके अंतर्गत ऐसे सूक्ष्म संकर मोटर यान नहीं है जो आरंभ और रोक प्रौद्योगिकी का बैटरी चालित विद्युत मोटर का केवल तब उपयोग करते हैं जब वह स्थिर स्थिति में होते हैं ।	8%	-
351.	8703	सात से अनधिक व्यक्तियों, जिसके अंतर्गत चालक भी है, के परिवहन के लिए तिपहिया यान ।	8%	-
352.	8704	टैरिफ मद 8704 10 90 के पेट्रोल चालित डम्परों से भिन्न मोटर यान	8%	-
353.	8704 10 90	पेट्रोल चालित डम्पर	20%	-
354.	8702, 8703	4000 मिली मीटर से अनधिक लंबाई के निम्नलिखित मोटर यान, अर्थात् :- (i) 1200 सीसी से अनधिक इंजन क्षमता के पेट्रोल, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैसों (एलपीजी) या संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) चालित यान ; और (ii) 1500 सीसी से अनधिक इंजन क्षमता के डीजल चालित यान **स्पष्टीकरण.--** इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, मोटर यान की विशिष्टियों का अवधारण मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) और तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा ।	8%	-
355.	8702, 8703	निम्नलिखित मोटर यान, अर्थात् :- (i) 1500 सीसी से अनधिक इंजन क्षमता के मोटर यान ; और (ii) 1500 सीसी से अधिक इंजन क्षमता के मोटर यान (क्रम सं. 356 की प्रविष्टि के सामने विनिर्दिष्ट मोटर	 20% 24%	 - -

		यान से भिन्न)		
356.	8703	1500 सीसी से अधिक इंजन क्षमता के मोटर यान, जो लोकप्रिय रूप से क्री.उ.या. (क्रीडा उपयोगिता यान) के नाम से जाने जाते हैं, सहित उपयोगिता यान **स्पष्टीकरण.**-- इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए क्रीडा उपयोगिता यान (क्री.उ.या.) के अंतर्गत 4000 मिलीमीटर से अधिक लंबाई का मोटर यान शामिल है और जिसकी तल से निकासी 170 मिलीमीटर और उससे अधिक है ।	24%	-
357.	8702, 8703	ईंधन सेल प्रौद्योगिकी पर आधारित हाइड्रोजन यान **स्पष्टीकरण.--** इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए, "हाइड्रोजन यान" से मोटर यान अभिप्रेत है, जो हाइड्रोजन की रासायनिक ऊर्जा को, किसी ईंधन सेल में हाइड्रोजन की आक्सीजन से प्रतिक्रिया करके विद्युत मोटर को यान चलित रेल को शक्ति प्रदान करने के लिए चलाने के लिए यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है ।	8%	-
358.	8702, 8703, 8704	माल के परिवहन के लिए या आठ या अधिक व्यक्तियों, जिसके अंतर्गत चालक भी है, के परिवहन के लिए दो या अधिक धुरे वाले मोटर यानो (संलग्न यानो से भिन्न) **स्पष्टीकरण.--** इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए, "संलग्न यान" से ऐसा मोटर यान अभिप्रेत है, जिसमें कोई ट्रेलर ऐसी रीति में जोड़ा जाता है कि ट्रेलर का एक भाग उस पर ऊपर से अधिरोपित होता है और ट्रेलर के वजन का एक भाग मोटर यान द्वारा उठाया जाता है ।	8%	-
359.	8702, 8703, 8704 या 8716	(1) चेसिस के विनिर्माता से भिन्न किसी विनिर्माता द्वारा विनिर्मित मोटर यान - (i) 6 से अधिक व्यक्तियों किंतु 12 से व्यक्तियों से अधिक नहीं, जिसके अंतर्गत चालक नहीं है, के परिवहन के लिए मोटर यान जिसके अंतर्गत स्टेशन वैगन है ; (ii) चालक को छोड़कर 12 से अधिक व्यक्तियों, के परिवहन के लिए मोटर यान ; (iii) चालक को छोड़कर 6 से अनधिक व्यक्तियों के परिवहन के लिए मोटर यान, जिसके अंतर्गत स्टेशन वैगन भी हैं ; (iv) पेट्रोल चालित से भिन्न माल के परिवहन के लिए मोटर यान ; (v) माल के परिवहन के लिए (iv) के सामने वर्णित से भिन्न (2) चेसिस के विनिर्माता से भिन्न किसी विनिर्माता द्वारा शीर्ष 8716 के यान **स्पष्टीकरण.--** प्रविष्टि (1) और (2) के प्रयोजनों के लिए	20% 8% 20% 8% 20% 8%	30 30

		यान का मूल्य ऐसे यान में उपयोग की गई चेसिस के मूल्य को छोड़कर होगा ।		
360.	8706 00 11, 8706 00 19	शीर्ष 8701 के ट्रेक्टरों के लिए इंजनों से सुसज्जित चेसिस	8%	-
361.	8706 00 21 या 8706 00 39	निम्नलिखित माल, अर्थात् :- (i) बैटरी चालित सड़क यानों के विनिर्माण में उपयोग के लिए चेसिस (ii) तीन या अधिक धुरे के मोटर यानों (संलग्न यानों के लिए चेसिस से भिन्न) के लिए चेसिस	 8% 8%	 2 -
362.	8706 00 43 या 8706 00 49	निम्नलिखित माल, अर्थात् :- (i) बैटरी चालित सड़क यानों के विनिर्माण में उपयोग के लिए चेसिस (ii) तीन या अधिक धुरे के मोटर यानों (संलग्न यानों के लिए चेसिस से भिन्न) के लिए चेसिस (iii) शीर्ष 8704 के यानों (पेट्रोल चालित से भिन्न), जो कैब के साथ हैं या कैब के साथ नहीं है, मोटर चेसिस	 10% 10% 10%	 2 - -
363.	8706 00 43	पेट्रोल चालित से भिन्न डम्परों के लिए, जो निम्नलिखित से भिन्न के लिए डिजाइन किए गए हैं,-- (क) राजमार्ग से परे उपयोग के लिए ; (ख) जिनका शुद्ध भार (निहित भार को छोड़कर) 8 टन से अधिक है ; और (ग) जिनकी अधिकतम निहित भार क्षमता 10 टन से कम है, के लिए ।	10%	-
364.	8706 00 49	शीर्ष 8704 के मोटर यानों के लिए चेसिस, जिन्हें (पेट्रोल चालित) इंजन से सुसज्जित किया गया है, चाहे कैब के साथ हैं या कैब के साथ नहीं है ।	10%	-
365.	8706 00 29	सभी माल	10%	-
366.	8706 00 42	सभी माल	9%	-
367.	8706 00 31 या 8706 00 41	तिपहिया मोटर यानों के लिए इंजन के साथ सुसज्जित चेसिस	8%	-
368.	8711	साइड कार के साथ या उसके बिना मोटर साइकिलें, (जिसके अंतर्गत मोपेडें भी हैं) और साइकिलें जिन्हें सहायक मोटर से सुसज्जित किया गया है	8%	-
369.	8716	ट्रेलर और अर्ध-ट्रेलर ; अन्य यान जो यांत्रिक रूप से नोदित नहीं है ; उनके हिस्से पुर्जे	8%	-" ;

(ग) उपाबंध में, शर्त सं 43 में, शर्तों से संबंधित दूसरे स्तंभ, "छत्तीस मास की अवधि के भीतर" शब्दों के स्थान पर, "साठ मास की अवधि के भीतर" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 334/3/2014-टीआरयू]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 12/2012-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, अधिसूचना सं. सा.का.नि. 163(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी और सं. सा.का.नि. 75(अ), तारीख 3 फरवरी, 2014 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 03/2014-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 3 फरवरी, 2014 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2014

No. 04/2014-Central Excise

G.S.R. 90(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 12/2012-Central Excise, dated the 17th March, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 163(E), dated the 17th March, 2012, namely:—

In the said notification,-

(A) in the opening paragraph, for the proviso, the following provisos shall be substituted, namely:-

"Provided that nothing contained in this notification shall apply to the goods specified against serial number 296 and 297 of the said Table after the 31st day of March, 2015:

Provided further that nothing contained in this notification shall apply to goods specified against serial number 345 to 369 of the said Table after the 30th day of June, 2014.";

(B) in the Table,-

(i) for serial number 263A and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"263A	8517	(i) Mobile handsets including cellular phones (ii) Mobile handsets including cellular phones	6% 1%	- 16";

(ii) against serial number 273, in column (3),-

(a) in item (iii), the words, letters, and figures "and Sports Utility Vehicles specified at Sl. No. 284A" shall be omitted;

(b) item (iv) and the corresponding entries in columns (4) and (5) shall be omitted;

(iii) after serial number 344 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"345	84 (except 8424 81 00, 8432, 8433, 8436,8437, 8452 10 12, 8452 10 22, 8452 30, 8452 90, 8469 00 30, 8469 00 40, 8479 89 92)	All goods	10%	-
346	85 (except 8548 10)	All goods	10%	-
347	87	The following goods namely:- (i) Motor vehicles falling under headings 8702 and 8703 cleared as ambulances duly fitted with all fitments, furniture and accessories necessary for an ambulance from the factory manufacturing such motor vehicles;	8%	-

		(ii) Motor vehicles falling under 8702 and 8703 for transport of up to thirteen persons, including the driver (other than three wheeled motor vehicles for transport of up to seven persons), which after clearance has been registered for use solely as ambulance; (iii) Motor vehicles falling under heading 8702, 8703 for transport of up to thirteen persons, including the driver (other than three wheeled motor vehicles and Sports Utility Vehicles specified at Sl. No. 356), which after clearance have been registered for use solely as taxi. (iv) Sports Utility Vehicles specified against Sl. No. 356, which after clearance have been registered for use solely as taxi.	8% 80% of the excise duty paid at the time of clearance 80% of the excise duty paid at the time of clearance	26 26 26
348	8701	Road tractors for semitrailers of engine capacity more than 1800 cc	8%	-
349	8702 10 91, 8702 10 92, 8702 10 99, 8702 90 91, 8702 90 92, 8702 90 99	Motor vehicles for the transport of ten or more persons, including the driver.	8%	-
350	8703	Hybrid motor vehicles ***Explanation. -*** For the purpose of this entry,-"hybrid motor vehicle" means a motor vehicle, which uses a combination of battery powered electric motor and an internal combustion engine to power the vehicle to drive trains, but does not include such micro-hybrid motor vehicle with start and stop technology, using battery powered electric motor only while in static condition.	8%	-
351	8703	Three wheeled vehicles for transport of not more than seven persons, including the driver.	8%	-
352	8704	Motor vehicles, other than petrol driven dumpers of tariff item 8704 10 90.	8%	-
353	8704 10 90	Petrol driven dumpers	20%	-
354	8702, 8703	Following motor vehicles of length not exceeding 4000 mm, namely:- (i) Petrol, liquefied petroleum gases (LPG) or compressed natural gas (CNG) driven vehicles of engine capacity not exceeding 1200cc; and (ii) Diesel driven vehicles of engine capacity not exceeding 1500 cc. ***Explanation.-*** For the purposes of this entry, the specification of the motor vehicle shall be determined as per the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and the rules made there under.	8%	-
355	8702 and 8703	Following motor vehicles, namely:- (i) Motor vehicles of engine capacity not exceeding 1500 cc; and (ii) Motor vehicles of engine capacity exceeding 1500 cc. (other than motor motor vehicles specified against entry at Sl. No. 356).	 20% 24%	 - -
356	8703	Motor vehicles of engine capacity exceeding 1500 cc, popularly known as Sports Utility Vehicles (SUVs) including utility vehicles. **Explanation-** For the purposes of this entry, SUV includes a motor vehicle of length exceeding 4000 mm and having ground clearance of 170 mm and above	24%	-
357	8702, 8703	Hydrogen vehicles based on fuel cell technology ***Explanation.-***For the purposes of this entry, "Hydrogen Vehicle" means a motor vehicle, that converts the chemical energy of hydrogen to mechanical energy by reacting hydrogen with oxygen in a fuel cell to run electric motor to power the vehicle drive trains	8%	-

358	8702, 8703, 8704	Three or more axled motor vehicles for transport of goods or for transport of eight or more persons, including the driver (other than articulated vehicle) ***Explanation.-*** For the purposes of this entry, "articulated vehicle" means a motor vehicle to which a trailer is attached in such a manner that part of the trailer is superimposed on, and a part of the weight of the trailer is borne by the motor vehicle	8%	-
359	8702, 8703, 8704 or 8716	(1) Motor vehicles manufactured by a manufacturer, other than the manufacturer of the chassis- (i) for the transport of more than six persons but not more than twelve persons, excluding the driver, including station wagons; (ii) for the transport of more than twelve persons, excluding the driver; (iii) for the transport of not more than six persons, excluding the driver, including station wagons; (iv) for the transport of goods, other than petrol driven; (v) for the transport of goods, other than mentioned against (iv). (2) Vehicles of heading 8716 manufactured by a manufacturer, other than the manufacturer of the chassis. ***Explanation.-***For the purposes of entries (1) and (2), the value of vehicle shall be the value of the vehicle excluding the value of the chassis used in such vehicle	 20% 8% 20% 8% 20% 8%	30 30
360	8706 00 11, 8706 00 19	Chassis fitted with engines, for the tractors of heading 8701	8%	-
361	8706 00 21 or 8706 00 39	The following goods, namely:- (i) Chassis for use in the manufacture of battery powered road vehicles; (ii) Chassis for three or more axled motor vehicle (other than chassis for articulated vehicle).	 8% 8%	 2 -
362	8706 00 43 or 8706 00 49	The following goods, namely:- (i) Chassis for use in the manufacture of battery powered road vehicles; (ii) Chassis for three or more axled motor vehicle (other than chassis for articulated vehicle); (iii) Motor chassis for vehicles of heading 8704 (other than petrol driven) fitted with engines, whether or not with cab.	 10% 10% 10%	 2 - -
363	8706 00 43	For dumpers, other than petrol driven, other than those designed,- (a) for use off the highway; (b) with net weight (excluding pay-load) exceeding eight tonnes; and (c) for maximum pay-load capacity not less than 10 tonnes.	10%	-
364	8706 00 49	Motor chassis for vehicles of heading 8704 (petrol driven) fitted with engines, whether or not with cab.	10%	-
365	8706 0029	All goods	10%	-
366	8706 00 42	All goods	9%	-
367	8706 00 31 or 8706 00 41	Chassis fitted with engines for three wheeled motor vehicles	8%	-
368	8711	Motor-cycles (including mopeds) and cycles fitted with an auxiliary motor, with or without side-cars	8%	-
369	8716	Trailers and semitrailers; other vehicles, not mechanically propelled; parts thereof	8%	-";

(C) in the ANNEXURE, in condition number 43, in the second column relating to Conditions, for the words "within a period of thirty six months", the words " within a period of sixty months" shall be substituted.

[F. No. 334/3/2014-TRU]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

Note: The principal notification No. 12/2012-Central Excise, dated the 17th March, 2012, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 163(E), dated the 17th March, 2012 and last amended *vide* notification No. 03/2014-Central Excise, dated the 3rd February, 2014 published vide number G.S.R.75(E), dated the 3rd February, 2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2014

सं. 04/2014-सेवा कर

सा.का.नि. 91(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1944 (1944 का 32) की धारा 93 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 25/2012-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 20 जून, 2012 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 467(अ), तारीख 20 जून, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना के प्रारंभिक पैरा में,--

(i) प्रविष्टि 2 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"2क. रज्जु रुधिर बैंकों द्वारा स्टैम कोशिकाओं के अनुरक्षण के माध्यम से या ऐसे अनुरक्षण के संबंध में किसी अन्य सेवा द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं ;" ;

(ii) प्रविष्टि 39 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"40. चावल को लादने, उतारने, पैक करने, भंडारण या भांडागार के माध्यम से सेवाएं ।" ।

[फा. सं. 334/3/2014-टीआरयू]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. 25/2012-सेवा कर, तारीख 20 जून, 2012, सा.का.नि. 467(अ), तारीख 20 जून, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 02/2014-सेवा कर, तारीख 30 जनवरी, 2014, सा.का.नि. सं. 71(अ) तारीख 30 जनवरी, 2014 द्वारा किए गए थे ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2014

No. 04/2014 - Service Tax

G.S.R. 91(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 25/2012-Service Tax, dated the 20th June, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* G.S.R. 467(E), dated the 20th June, 2012, namely:—

In the said notification, in the opening paragraph,-

(i) after entry 2, the following entry shall be inserted, namely:–

"2A. Services provided by cord blood banks by way of preservation of stem cells or any other service in relation to such preservation;";

(ii) after entry 39, the following entry shall be inserted, namely:-

"40. Services by way of loading, unloading, packing, storage or warehousing of rice.".

[F. No. 334 /3/ 2014-TRU]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification No. 25/2012-Service Tax, dated the 20th June, 2012, number G.S.R. 467 (E), dated the 20th June, 2012 and was last amended by notification No.02/2014-Service Tax, dated the 30th January, 2014 vide number G.S.R. 71(E), dated the 30th January, 2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2014

सं. 05/2014-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 92(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 12/2012-सीमाशुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. 185(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में,--

(क) सारणी में,--

(i) क्रम सं. 16 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"16क.	0511 99 99	मानव भ्रूण	कुछ नहीं	-	1क" ;

(ii) क्रम सं. 27 के सामने, स्तंभ (2) में, "या 0808 20 00" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "0808 30 00 या 0808 40 00" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) क्रम सं. 51 के सामने, स्तंभ (4) में स्तंभ (3) में मद सं. 1 के खंड (क), (ख) और (ग) की प्रविष्टि के स्थान पर, क्रमशः "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) क्रम सं. 138 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"138क.	2711 11 00, 2711 21 00	दहज विशेष आर्थिक जोन में अवस्थित मैसर्स तेल और प्राकृतिक गैस लिमिटेड के सी 2-सी 3 संयंत्र में खपत के लिए उक्त वि.आ.जो. इकाई में प्राधिकृत प्रचालन के प्रयोजन के लिए आयातित द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (द्र.प्रा.गै.)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	8क
138ख.	2711 11 00, 2711 21 00	दहज विशेष आर्थिक जोन में अवस्थित मैसर्स तेल और	कुछ नहीं	कुछ नहीं	-" ;

		प्राकृतिक गैस लिमिटेड के सी 2-सी 3 संयंत्र द्वारा प्राधिकृत प्रचालन के पूर्ण हो जाने के पश्चात् घरेलू टैरिफ क्षेत्र (घ.टै.क्षे.) में निकासी के पश्चात् अपशिष्ट द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (द्र.प्रा.गै.) या प्राकृतिक गैस (प्रा.गै.) की निकासी : परंतु कोई छूट उपलब्ध नहीं होगी, यदि छूट उस मात्रा से भिन्न द्र.प्रा.गै./प्रा.गै. पर दावा की गई है, जिसका उक्त वि.आ.जो. इकाई में प्राधिकृत प्रचालन के लिए उपभोग किया गया है ।			

(v) क्रम सं. 187 के सामने, स्तंभ (2) में, "3823 11 11, 3823 11 12, 3823 11 19" प्रविष्टि का लोप किया जाएगा ;

(vi) क्रम सं. 187 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"187क.	3823 11 11, 3823 11 12, 3823 11 19	सभी माल	7.5%	-	-" ;

(vii) क्रम सं. 230 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) क्रम सं. 368 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"368क.	84 या कोई अन्य अध्याय	सड़क संनिर्माण के लिए अपेक्षित सूची 16क में विनिर्दिष्ट माल	कुछ नहीं	-	9" ;

(ix) क्रम सं. 394 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"394क.	84	बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बैं.नो.पे.मि.इं.प्रा.लि.) द्वारा या उसके निमित्त आयातित निम्नलिखित	5%	कुछ नहीं	-" ;

		माल, अर्थात् :- (i) मैसूर, कर्नाटक में सिलिंडर माउंट वेट मेड वाटर मार्कड बैंक नोट (सी.डब्ल्यू.बी.एन.) कागज और अन्य सुरक्षा कागज विनिर्माण की बैंक नोट पेपर मिल परियोजना को स्थापित करने के लिए बैं.नो.पे.मि.इं.प्रा.लि. द्वारा या उसके निमित्त आयातित संयंत्र या मशीनरी या उपस्कर, संबंधित पुर्जे और खपत ; और (ii) लुगदी के ऑनलाइन निरीक्षण के लिए संयंत्र या मशीनरी या उपस्कर, संबंधित पुर्जे और खपत योग्य सामग्री ।			

(ख) सारणी के पश्चात्, परंतुक में,--

(i) खंड (क) में, "1 अप्रैल, 2014" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "1 अक्तूबर, 2014" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (झ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(ञ) उक्त सारणी में क्रम सं. 394क के सामने तारीख 1 जनवरी, 2015 को या उसके पश्चात् विनिर्दिष्ट माल" ;

(ग) उपाबंध में,--

(i) शर्त सं. 1 के पश्चात् निम्नलिखित शर्त अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"1क	यदि, आयातकर्ता, यथास्थिति, उपायुक्त, सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क को वचनबंध देता है कि मानव भ्रूण का वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा" ;

(ii) शर्त सं. 8 के पश्चात् निम्नलिखित शर्त अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"8क	यदि द्र.प्रा.गै. के संबंध में जिसके लिए छूट का दावा किया गया है,-- (क) आयातकर्ता प्रवेशपत्र में द्र.प्रा.गै. की मात्रा को, जिसके लिए छूट का दावा किया गया है, प्रवेशपत्र में दर्शित करता है ; और (ख) आयातकर्ता वि.आ.जो. की अधिकारिता रखने वाले विनिर्दिष्ट अधिकारी से यह प्रमाणित करते हुए एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि द्र.प्रा.गै. की वह मात्रा जिसके लिए छूट का दावा किया जा रहा है, का पूर्ववर्ती मास के दौरान प्राधिकृत प्रचालनों के प्रयोजन के लिए वि.आ.जो इकाई द्वारा समतुल्य मात्रा का वस्तुतः उपभोग किया गया है ।" ;

(iii) शर्त सं. 93 में, शर्त से संबंधित दूसरे स्तंभ में, "छत्तीस मास की अवधि के भीतर" शब्दों के स्थान पर, "साठ मास की अवधि के भीतर" शब्द रखे जाएंगे ।

(iv) सूची 16 में,--

(क) मद सं. (1), (2), (6), (16) तथा (20) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ख) मद सं. 21 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद सं. और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(21) "सुंग उत्खनन और अस्तर उपस्कर" ;

(v) सूची 16 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित सूची और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"सूची 16क (सारणी की क्रम सं. 368क देखें)

(1) 120 टन प्रति घंटा धारिता से अधिक घान प्रकार का इलैक्ट्रानिक नियंत्रित और बैग प्रकार का फिल्टर व्यवस्था का तप्त मिश्रित संयंत्र

(2) 7 मीटर आकार और उससे अधिक बिटुमनी फर्श बिछाने के लिए (संवेदी युक्ति सहित) इलैक्ट्रानिक फर्श परिसज्जाकारक

(3) किनारा बिछाने की मशीन

(4) 90/120 वर्ग प्रति मीटर धारिता की चलित कंक्रीट पम्प स्थापक

(5) फिसलन परिचालन भरक

(6) विशाल प्रवेधक, भरक, उत्खनक, शार्टक्रीट मशीन, तीन स्तरीय संदलित्र" ।

[फा. सं. 334/3/2014-टीआरयू]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं0 12/2012-सीमाशुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 185(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 4/2014-सीमाशुल्क, तारीख 3 फरवरी, 2014 द्वारा, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 76(अ), तारीख 4 फरवरी, 2014 में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2014

No. 05 /2014-Customs

G.S.R. 92(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 12/2012-Customs, dated the 17th March, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 185(E), dated the 17th March, 2012, namely:-

In the said notification,-

(A) in the Table,-

(i) after serial number 16 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“16A	0511 99 99	Human Embryo	Nil	-	1A”;

(ii) against serial number 27, in column (2), for the word and figures “or 0808 20 00”, the figures and word “0808 30 00 or 0808 40 00” shall be substituted;

(iii) against serial number 51, for the entries occurring in column (4) against clauses (A), (B) and (C) of item I of column (3), the entry “7.5%” shall respectively be substituted;

(iv) after serial number 138 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“138A	2711 11 00, 2711 21 00	Liquefied Natural Gas (LNG) imported for consumption in the C2-C3 Plant of M/s Oil and Natural Gas Corporation Limited located in the Dahej Special Economic Zone (hereinafter referred to as the SEZ unit) for the purposes of authorised operations in the SEZ unit.	Nil	Nil	8A
138B	2711 11 00, 2711 21 00	The remnant Liquefied Natural Gas (LNG) or Natural Gas (NG) cleared into the Domestic Tariff Area (DTA), after completion of the authorised operations carried out by the C2-C3 Plant of M/s Oil and Natural Gas Corporation Limited, located in the Dahej Special Economic Zone (hereinafter referred to as the SEZ unit): Provided that no exemption shall be available if exemption has been claimed on the quantity of LNG/NG other than the quantity which has been consumed for the authorised operation in the SEZ unit.	Nil	Nil	-”;

(v) against serial number 187, in column (2), the entries “3823 11 11, 3823 11 12 , 3823 11 19” shall be omitted;

(vi) after serial number 187 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“187A	3823 11 11, 3823 11 12, 3823 11 19	All goods	7.5%	-	-”;

(vii) against serial number 230, for the entry in column (4), the entry “7.5%” shall be substituted;

(viii) after serial number 368 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“368A	84 or any other Chapter	Goods specified in List 16A required for construction of roads	Nil	-	9”;

(ix) after serial number 394 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“394A	84	The following goods to be imported by or on behalf of Bank Note Paper Mill India Private Limited (BNPMIPL) namely:- (i) plant or machinery or equipment, related spares and consumables imported by or on behalf of BNPMIPL, for setting up of a Bank Note Paper Mill project to manufacture Cylinder Mould Vat Made Watermarked Banknote (CWBN) paper and other security paper at Mysore, Karnataka; and	5%	Nil	-”;

		(ii) Plant or machinery or equipment, related spares and consumables for online inspection of pulp.			

(B) after the Table, in the proviso,-

(i) in clause (a), for the figures, letters and words "1st day of April, 2014", the figures, letters and words "1st day of October, 2014" shall be substituted;

(ii) after clause (i) and before the Explanation, the following clause shall be inserted, namely:—

"(j) the goods specified against serial no. 394A of the said Table on or after the 1st day of January, 2015";

(C) in the ANNEXURE,

(i) after condition number 1, the following condition shall be inserted, namely:-

"1A	If the importer furnishes an undertaking to the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, that the human embryo shall not be used for commercial purpose";

(ii) after condition number 8, the following condition shall be inserted, namely:-

"8A	If in respect of the LNG for which exemption is claimed,- (a) the importer indicates in the Bill of Entry, the quantity of LNG for which the exemption is claimed; and (b) the importer produces a certificate from the jurisdictional Specified Officer of the SEZ unit certifying that the quantity of LNG for which exemption is being claimed has actually been consumed in terms of equivalent quantity by the SEZ unit for the purposes of authorised operations during the preceding month.";

(iii) in condition number 93, in the second column relating to Conditions, for the words "within a period of thirty six months", the words " within a period of sixty months" shall be substituted;

(iv) in List 16,-

(a) items number (1), (2),(6),(16) and (20) and entries relating thereto shall be omitted;

(b) for item number (21) and the entry relating thereto, the following item and entry shall be substituted, namely:-

"(21) Tunnel Excavation and Lining Equipments";

(v) after List 16 and the entries relating thereto, the following List and entries shall be inserted, namely:-

"List 16A (See S.No. 368A of the Table)

(1) Hot mix plant batch type with electronic controls and bag type filter arrangements more than 120 T/hour capacity,

(2) Electronic paver finisher (with sensor device) for laying bituminous pavement 7m size and above,

(3) Kerb laying machine,

(4) Mobile concrete pump placer of 90/120 cu m/hr capacity,

(5) Skid steer loaders,

(6) Drilling jumbos, Loaders, Excavators, Shortcrete machine and 3 stage crushers.".

[F. No. 334/3/2014-TRU]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

Note : The principal notification No. 12/2012-Customs, dated the 17th March, 2012, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 185(E), dated the 17th March, 2012 and last amended *vide* notification No. 04/2014-Customs, dated the 3rd February, 2014, published vide number G.S.R. 76 (E), dated the 3rd February, 2014

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2014

सं. 05/2014-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 93(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर की लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 194(अ) तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 21/2012-सीमाशुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012 में, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं. 83 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)	(4)
"83क	84	भारत सरकार की वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 12/2012-सीमाशुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012 से उपाबद्ध सारणी की क्रम सं. 394क में विनिर्दिष्ट माल : परंतु इस अधिसूचना के अधीन उपलब्ध छूट उक्त अधिसूचना सं. 12/2012-सीमाशुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012 के अधीन ऐसे मालों की बाबत विनिर्दिष्ट शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन होगी ; परंतु यह और कि इस प्रविष्टि में अंतर्विष्ट कोई बात 1 जनवरी, 2015 को या उसके पश्चात् आयातित माल को लागू नहीं होगी ।	शून्य" ।

[फा. सं. 334/3/2014-टीआरयू]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 21/2012-सेवा कर, तारीख 17 मार्च, 2012, अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 194(अ) तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 26/2013-सेवा कर तारीख 8 मई, 2013 द्वारा सं. सा.का.नि. 294(अ) तारीख 8 मई, 2013 द्वारा किए गए थे ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2014

No. 06/2014-Customs

G.S.R. 93(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 21/2012-Customs, dated the 17th March, 2012 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* G.S.R. 194(E), dated the 17th March, 2012, namely:—

In the said notification, in the Table, after serial number 83 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)
"83A	84	Goods specified against S. No. 394A of the Table annexed to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 12/2012-Customs, dated the 17th March, 2012: Provided that the exemption available under this notification shall be subject to the conditions, if any, specified in respect of such goods under the said notification No. 12/2012-Customs, dated the 17th March, 2012: Provided further that nothing contained in this entry shall apply on goods imported on or after the 1st day of January, 2015.	Nil".

[F. No. 334/3/2014-TRU]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

Note.- The principal notification No. 21/2012-Customs, dated the 17th March, 2012 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 194(E) dated the 17th March, 2012 and was last amended *vide* notification No. 26/2013-Customs, dated the 8th May, 2013, *vide* number G.S.R. 294 (E), dated the 8th May, 2013.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.